न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

मुकदमा संख्याः– दावा संख्या 46/2019

निर्णय दिनांक :–

1. मदनसिंह पुत्र रामकुवारसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भरपालसर बिदावतान त. रतनगढ जिला चूरू
2. महावीरसिंह पुत्र रामकुवारसिंह जाति राजपूत निवासी भरपालसर बिदावतान त. रतनगढ जिला चूरू

... वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार रतनगढ़।

...प्रतिवादी

उपस्थितः–

1. श्री मगनाथ सिद्व अभि. वादीगण
2. पैरोकार राज

दावा घोषणा एवं रेकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 व 91 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

1. वादी की ओर से यह दावा अन्तर्गत धारा 88 व 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कृषि भूमि के घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती हेतु दिनांक 19.8.2019 को प्रस्तुत किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

21.11.19
उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

2. दावा वादिनी का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भरपालसर बीदावतान तहसील रतनगढ की रोही में वादीगण व सविताकंवर पत्नी रघुवीरसिंह जाति राजपूत निवासी भरपालसर बिदावतान की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त के दो खेत ख.नं. 125 तादादी 4.6286 हैक्टयर, व ख.नं. 47 तादादी 3.9836 हैक्टेयर कुल तादादी 8.6122 हैक्टेयर चले आ रहे है। जिसे आगे वादगत भूमि कहा गया है।

3. रामकुवारसिंह के वारिसान में उसके तीन पुत्र मदनसिंह, महावीरसिंह, व रूघवीरसिंह हुए। तीन पुत्रों के अलावा उनके कोई संतान नही हुई। रामकुवारसिंह की मृत्यू के बाद वादगत भूमि की संयुक्त खातेदारी तीनो भाईयों के नाम दर्ज हो गई। वादीगण के भाई रूघवीरसिंह की शादी सन् 1995 में मु. सविताकंवर के साथ हुई थी। शादी के 7 माह बाद रूघवीरसिंह की मृत्यू हो गई, जिसकी असामयिक मृत्यू के कारण सविताकंवर का मानसिक संतुलन ठीक नही रहा। मार्च 1997 में श्रीमती सविताकंवर अचानक घर से निकल गई। जिसको लापता हुए करीब 22 वर्ष हो गये है। गत 22 सालों में उसके जीवित होने के बारे में किसी रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति से नही सुना गया है। कानूनन धारा 108 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार किसी व्यक्ति के बारे में जीवित होने के बारे में नही सुना जाता है तो उसकी मृत्यू की उपधारणा का प्रावधान है। सविताकंवर के संबध में गत 07 सालों से नही सुना गया है। इसलिए उसकी कानूनन मृत्यु होने की उपधारणा किये जाने योग्य है और सविताकंवर का नाम हटाये जाने योग्य है। वादगत भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है लेकिन रेकार्ड में सविताकंवर का नाम उसकी कानूनी मृत्यू हो जाने के बावजूद चला आ रहा है। प्रतिवादी को दिनांक 16.8.2019 को निवेदन किया तो साफ इन्कार हो गये। वादगत भूमि रोही ग्राम भरपालसर बीदावतान तहसील रतनगढ में स्थित है। जो न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

4. अतः घोषित किया जावे कि वादगत भूमि ख.नं. 125, 47 कुल तादादी 8.6122 तादादी भरपालसर बीदावतान तहसील रतनगढ वादीगण के कब्जा काश्त की है। सविताकंवर का नाम रेकार्ड से हटाये जाने योग्य है।

29.11.19
उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

5. प्रतिवादी पैरोकार राज की ओर से कोई राजहित नही होना जाहिर किया गया। वादीगण की ओर से मुख्य शपथ पत्र महावीरसिंह व मदनसिंह, दुलेसिंह, श्रवणसिंह, पूर्णनाथ, सोहनसिंह, मुलाराम व दातारसिंह प्रस्तुत किये गये है। दस्तावेज नकल जमाबन्दी सं. 2071–75 प्रदर्श–1, नकल नामान्तरकरण प्रदर्श–2, ग्रा.पं. का प्रमाण पत्र दि. 3.8.19 प्रदर्श–3, नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी प्रदर्श–5 व 6, नकल मिसल बन्दोबस्त प्रदर्श–7 व 8, नकल नामा. प्रदर्श–9, नकल जमाबन्दी प्रदर्श–10 व 11 प्रस्तुत किये गये है।

6. बहस विद्वान अभिभाषक एवं पैरोकार राज सुनी गई। पत्रावली एवं राजस्व रेकार्ड का भलीभातिं अवलोकन किया गया। राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से वादगत ख.नं. 125 व 47 कुल तादादी 8.6122 रोही ग्राम भरपालसर बीदावतान तहसील रतनगढ में मदनसिंह, महावीरसिंह व सविताकंवर के नाम प्रत्येक का 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। वादीगण का कथन है कि सविताकंवर करीब 22 वर्ष पहले घर से निकल गई, जिसका कोई अता पता नही है। साक्ष्य अधिनिमय की धारा 108 के अनुसार 7 सालों से जीवित होने के बारे में नही सुना जाता है, तो उसकी मृत्यू की उपधारणा की जाती है। इसलिए सविताकंवर को मृत माना जाकर वादीगण कानूनन वारिसान है। इसलिए वादी सं. 1 का 1/2 हि. व वादी सं. 2 का 1/2 हिस्सा घोषित किया जावे। सविताकंवर का नाम रेकार्ड से हटाया जावे। यह सही है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 में, "यदि किसी व्यक्ति के 7 वर्ष में जीवित होने का नही सुना जाता है, तो यह उपधारणा करने का प्रावधान है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है," परन्तु इसे दस्तावेजी साक्ष्य या तथ्यों से साबित करना होगा। हस्तगत प्रकरण में वादीगण की ओर से 22 वर्षो से सविताकंवर को लापता बताया गया है तथा इसकी पुष्टि में ग्राम पंचायत भरपालसर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 3.8.2019 प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा 22 वर्षो से सविताकंवर के लापता होने का अकंन किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाण हाल ही में जारी किया गया है। वादीगण की ओर से सविताकंवर के मानसिक रूप से सही नही होने के सम्बन्ध में कोई पुख्ता दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है तथा वादीगण द्वारा लापता होने के

29.11.19
उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

होने के बाद कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई हो या कोई तालश करने का प्रयास, गुमशुदा बाबत अखबार में साया करने अथवा पीहर पक्ष से जानकारी आदि बाबत कार्यवाही की हो, ऐसा तथ्यपरक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे कि उसके 07 वर्ष पूर्व से लापता होने की पुष्टि होती हो। अतः दावा वादीगण खारिज योग्य है।

आदेश

दावा वादीगण घोषणा एवं रेकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 व 91 आर. टी.एक्ट 1955 वादगत ख.नं. 125 व 47 कुल तादादी 8.6122 हैक्टयर रोही ग्राम भरपालसर बीदावतान तहसील रतनगढ बाबत खारिज किया जाता है। पर्चा डिकी जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेगें।

आदेश आज दिनांक 29.11.19 को बसरे ईजलास सुनाया गया।

29.11.19

(डॉ. गौरव सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2019.11.30 16:12:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: